<u>कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़</u>

कार्यालय आदेश

1. वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) हेतु 07 कोषागारों और उनके उप-कोषागारों के निरीक्षण के लिए कोषागार निरीक्षण दौरा कार्यक्रम को तैयार किया गया है। तदनुसार, हरियाणा राज्य में जुलाई 2026 के दौरान रोहतक, चंडीगढ़ तथा जींद कोषागारों और उनके उप-कोषागारों का निरीक्षण किया जाना है।

2. इन कोषागारों का निरीक्षण ओआईओएस (OIOS) के माध्यम से तथा प्रधान महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार पहले की तरह ही किया जाएगा । कोषागार निरीक्षण दल लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ आधारभूत दस्तावेज भी अपलोड करें।

3. निर्धारित श्रेणी के अनुसार यात्रा की जाए ।

4. सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सीसीएस (आचरण) नियमों के अनुरूप निरीक्षण दल की शिष्टता का पालन करें ।

5. प्रत्येक निरीक्षण दल के क्रमांक 1 पर नामित वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी, निरीक्षण के अंतिम 03 दिन ऑफ़ लाइन मोड द्वारा पर्यवेक्षण करेंगे ।

6. पिछले वर्ष की निरीक्षण रिपोर्ट के लंबित पैरा, यदि कोई हों, को चालू वर्ष की रिपोर्ट में सम्मलित न किया जाए, इन्हें अलग से दर्शाया जाए।

7. निरीक्षण दल जांच सूची की सॉफ्ट कॉपी (सामान्य जांच/आईटी जांच/कुंजी/सहायक दस्तावेज और पिछले वर्ष की कोषागार निरीक्षण रिपोर्ट) जो निरीक्षण के दौरान आवश्यक हैं, साथ में लेकर जाए ।

8. निरीक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोषागारों एवं इसके उप कोषागारों की निरीक्षण रिपोर्ट, कोषागारों एवं उप कोषागारों का निरीक्षण पूरा होने के 10 दिनों के भीतर टीएम (सी) अनुभाग को सौंप दें, ताकि केआरए (KRA) की आवश्यकतानुसार संबंधित इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट को 21 दिनों के भीतर जारी किया जा सकें।

9. प्रत्येक निरीक्षण दल के क्रमांक 1 पर नामित वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी, निरीक्षण के लिए कोषागार में आने से पूर्व निरीक्षण के लिए आवश्यक जांच सूची तथा दस्तावेजों के साथ संबंधित कोषागार को निरीक्षण की सूचना दें।

10. किसी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के स्थानांतरण की स्थिति में , उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी निरीक्षण का शेष कार्य पूरा करेंगे। निवर्तमान वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी अपनी कार्यभार रिपोर्ट में निरीक्षण के शेष लंबित कार्य का उल्लेख करेंगे।

11. निरीक्षण दल द्वारा एकत्रित/संचालित की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी/जांचें निम्नानुसार हैं :-

(क) डीडीओ की कुल संख्या
(ख) पेंशनभोगियों की कुल संख्या
(ग) वित्त वर्ष में वाउचर की कुल संख्या
(घ) वित्त वर्ष में वाउचर के माध्यम से कुल व्यय

(ङ) पिछले निरीक्षणों के दौरान सामान्य प्रकार की देखी गईं प्रेक्षण/टिप्पणियाँ

(च) पीपीओ के संबंध में मासिक पेंशन बिल, कोषागार अधिकारी द्वारा किए गए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के कारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन दरों की शुद्धता सुधार, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अन्य मदों की शुद्धता यानी निश्चित चिकित्सा, एलटीसी आदि और पेंशन से सभी प्रकार की कटौतियों की शुद्धता

(छ) विशेत: सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की विभिन्न मदों (निश्चित चिकित्सा, एलटीसी आदि) की जांच करना तथा सभी प्रकार की कटौतियों और निश्चित चिकित्सा और एलटीसी आदि की देय के गलत निर्धारण और सभी प्रकार की कटौतियों की शुद्धता के मामलों को सामने लाना

(ज) कोषागारों का अधिकांश कार्य कम्प्यूटरीकृत हो चुका है; हरियाणा के आईएफएमएस का आकलन करके लेखों का निरीक्षण किया जा सकता है

(झ) टी. ओ. द्वारा लौटाए गए बिलों के कारणों की जांच करना और यह जांचना कि क्या अन्य डीडीओ के इसी प्रकार के बिलों का भुगतान किया गया है या नहीं

12. निरीक्षण दल को प्रत्येक कोषागार के पुराने पैरा को निपटाने का लक्ष्य भी दिया गया है। इसके अलावा, 3 वर्ष से अधिक अवधि के समान पैरा की पहचान और उन्हें समेकन के लिए प्रस्तावित किया जाना है। कोषागार निरीक्षण दलों को निर्देश दिया गया है कि वे निरीक्षण के दौरान पुराने लंबित 'पैरा' की खास तौर पर समीक्षा करें और जहाँ भी संभव हो, संबंधित कोषागार अधिकारियों को भविष्य में ज़्यादा सावधानी बरतने के निर्देश देकर उन्हें मौके पर ही निपटाने की कोशिश करें।

13. कोषागार निरीक्षण दल के सदस्यों को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान उप महालेखाकार महोदय की अनुमति के बिना स्टेशन न छोड़ें । स्टेशन छोड़ने के अनुरोध में हमेशा स्टेशन छोड़ने का कारण शामिल होना चाहिए अन्यथा अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

14. कोषागार निरीक्षण दल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित कोषागारों से जवाब प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं। यदि उत्तर संतोषजनक हैं, तो कमियों को छोड़ दिया जा सकता है और केवल प्रमुख कमियों को पैरा में शामिल किया जाना है।

15. कोषागार निरीक्षण दल यह भी देखेंगे कि कोषागार कार्यालय को सरकारी लेन-देन के लिए अधिकृत एजेंसी बैंक की संबंधित स्थानीय शाखा से केवल संशोधित प्रारूप में ही वीडीएमएस स्वीकार करना चाहिए। यदि, कोषागार कार्यालय पुराने प्रारूप में वीडीएमएस स्वीकार कर रहा है, तो ऐसे तथ्यों का उल्लेख कोषागार निरीक्षण रिपोर्ट में किया जाएगा।

16. कोषागार निरीक्षण दल को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कोषागार अधिकारी एवं सहायक कोषागार अधिकारी, संशोधित पेंशन के लिए पेंशनभोगियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के संबंध में इन निर्देशों का पालन कर रहे हैं:

I. जिन पेंशनभोगियों का डेटा/रिकॉर्ड ई-पेंशन मॉड्यूल में उपलब्ध है, उनकी संशोधित पेंशन के मामले में पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

II. इसके अतिरिक्त, यदि उन पेंशनभोगियों के लिए, जो अभी भी बैंकों से पेंशन ले रहे हैं (2012 से पहले रिटायर हुए लोगों के लिए), प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, के द्वारा जारी संशोधित PPO (RPPO) में बैंक विवरण उपलब्ध हैं, तो ऐसे पेंशनभोगियों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता भी नहीं होगी।

III. ऐसे किसी भी मामले प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, द्वारा RPPO के लिए "सूचना पत्र" (intimation letter) जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

17. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों से पेंशन की वसूली के मामले में और इस कार्यालय में निष्क्रिय पीपीओ जमा करने के मामले में, कोषागार निरीक्षण दल को पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाण

पत्र की जांच करनी होगी और उसे ओआईओएस (OIOS) मॉड्यूल में प्रमुख दस्तावेजों के रूप में संलग्न करना होगा।

18. कोषागार के डोमेन के अंतर्गत पीडी/पीएलए लेखों का निरीक्षण करते समय, सरकारी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने एवं किसी भी विसंगति या विचलन की पहचान करने के लिए निम्नलिखित पूछताछ की जानी चाहिए। निष्कर्षों को निरीक्षण रिपोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए जिसमें निम्नलिखित प्रश्न शामिल हैं:-

- निर्धारित करें कि क्या पीडी/पीएलए लेखे राज्य की समेकित निधि या राज्य की असमेकित निधि से वित्त पोषित हैं।
- यदि वित्त पोषण गैर-समेकित निधि स्रोतों से है, तो विशिष्ट स्रोतों की पहचान करें।
- कोषागार /उप- कोषागार में संचालित पीडी/पीएलए लेखों की संख्या और ओटीआईएस के साथ कोषागार /उप- कोषागार में रखे गए शेष, साथ ही कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा में उपलब्ध शेष की जानकारी। इसके लिए दल जमा अनुभाग से आकंडे एकत्र करे।
- यह जांचने के लिए कि क्या वर्तमान वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के लिए पीडी/पीएलए लेखे/खाते की शेष राशि का मिलान किया गया है या नहीं। समाधान में, कोषागार/उप-कोषागार, ओटीआईएस तथा कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से शेष राशि का मिलान शामिल होना चाहिए।
- विशिष्ट प्रशासनिक आदेश या प्राधिकरण आदेश जिस पर पीडी/पीएलए खाते खोले गए हैं।

हस्ता/-

उप महालेखाकार (लेखा एवं वीएलसी)

टीएम(सी)/ कोषा. निरी./ /2026-27/138 **दिनांक:**10/07/2026

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की गई है :-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. निजी सहायक, वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन)
3. निजी सहायक, उप महालेखाकार (लेखा एवं वीएलसी)
4. सहायक लेखा अधिकारी, प्रशासन- II
5. सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी
6. राजभाषा अनुभाग

हस्ता/-

वरि. लेखा अधिकारी टीएम(सी)

नाम (श्री / श्रीमती)	कोषागार/ उप-कोषागार का नाम	वर्तमान निरीक्षण का वर्ष	दिवसों की संख्या	यात्रा एवं कार्य अवधि	निरीक्षण अवधि	अवकाश
1. मंदीप कादियान, सहायक लेखा अधिकारी	कलानौर	2024-25, 2025-26	2	12-07-2026	13-07-2026 to 14-07-2026	
2. अजय कुमार (1099), सहायक लेखा अधिकारी	सांपला	2024-25, 2025-26	2	15-07-2026	15-07-2026 to 16-07-2026	
3. अतुल कुमार, लेखाकार	चण्डीगढ़ वापसी			16-07-2026		18-07-2026 Sat 19-07-2026 Sun
	दल दिनांक 17.07.2026 को कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेगा।					
	रोहतक	2025-26	5	19-07-2026	20-07-2026 to 24-07-2026	
	चण्डीगढ़ वापसी			25-07-2026		25-07-2026 Sat
1. दीपेश शर्मा , सहायक लेखा अधिकारी 2. मीना , सहायक लेखा अधिकारी 3. सुमित कुमार, लेखाकार	चण्डीगढ़	2024-25, 2025-26	5	20-07-2026	20-07-2026 to 24-07-2026	
1. नरेन्द्र सिंह चारण, सहायक लेखा अधिकारी	अलेवा	2024-25, 2025-26	2	19-07-2026 (अर्ध दिवस)	20-07-2026 to 21-07-2026	
2. दीपक चौरसिया, सहायक लेखा अधिकारी	पिल्लूखेड़ा	2024-25, 2025-26	2	22-07-2026	22-07-2026 to 23-07-2026	

3. रोमी, डाटा एंट्री ऑपरेटर	जुलाना	2024-25, 2025-26	1	24-07-2026	24-07-2026	
	चण्डीगढ़ वापसी			25-07-2026 (अर्ध दिवस)		25-07-2026 Sat 26-07-2026 Sun
	जीन्द	2025-26	4	26-07-2026 (अर्ध दिवस)	27-07-2026 to 30-07-2026	
	चण्डीगढ़ वापसी			31-07-2026 (अर्ध दिवस)		31-07-2026 Sat

टिप्पणी:- **क्रम संख्या-1** पर अंकित अधिकारी कोषागार निरीक्षण के अंतिम तीन दिनों में भाग लेंगे।

हस्ता/-

उप महालेखाकार (लेखा)